रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1988/पौष 16, 1909
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 1988/PAUSA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सा० का० नि०10(ई)—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएं—इन विनियमो मे, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन विनियमो से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "नियम" से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 अभिप्रेत है ।

(घ) सभी अन्य शब्दो और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है, और परिभाषित नही है, किन्तु अधिनियम या नियम मे परिभाषित है, वही अर्थ होगे जो अधिनियम या नियम मे है ।

अनुज्ञप्ति की मंजूरी और नवीकरण की रीति, शर्ते और फीस की दरे

3 अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने की रीति . (1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन, ब्यूरो को प्ररूप 1 में किया जाएगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक विवरण होगा जिसमें निरीक्षण और परीक्षण की कोई ऐसी स्कीम विस्तृत रूप से दी जाएगी जिसे आवेदक चलाता है या जो प्रयोग में रही है या जिसे वह चलाने या प्रयोग में लाने का प्रस्ताव करता है और जो विनिर्माण या उत्पादन के दौरान, उस वस्तु या प्रसंस्करण की जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया जाता है, क्वालिटी का विनियमन करने के लिए अभिकल्पित है।

(3) प्रत्येक आवेदन पर, किसी व्यष्टि की दशा में, आवेदक द्वारा या किसी फर्म की दशा में, फर्म के स्वत्वधारी, भागीदार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा या फर्म की ओर से किसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदाभिधान, आवेदन प्ररूप में इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गए स्थान पर सुपाठ्य रूप से अभिलिखित किए जाएंगे।

(4) अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन, ब्यूरो द्वारा उसकी प्राप्ति पर, प्राप्ति की अधिमानता के क्रम में संख्यांकित किया जाएगा और उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृत की जाएगी।

(5) ब्यूरो, किसी आवेदक से, उसके आवेदन में उसके द्वारा किए गए किसी कथन के समर्थन में या उसको सिद्ध करने के लिए किसी अनुपूरक जानकारी या दस्तावेजी साक्ष्य की, ऐसे समय के भीतर जो ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, मांग सकेगा और ऐसे निदेश के अनुपालन का प्रभाव ब्यूरो द्वारा आवेदन को संक्षिपतः अस्वीकार किया जाना होगा।

(6) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के पूर्व, ब्यूरो—

(क) यह साक्ष्य पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि वह वस्तु या प्रसंस्करण जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप हैं;

(ख) यह साक्ष्य पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदक के पास नैत्यिक निरीक्षण और परीक्षण की कोई स्कीम प्रवर्तन में है जिससे पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित हो सके कि सभी चिह्नित उत्पाद, भारतीय मानक के अनुरूप हैं;

(ग) ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को, आवेदक के कार्यालय, कर्मशाला, परीक्षण प्रयोगशालाओं या गोदामों और किन्हीं अन्य परिसरों का निरीक्षण करने के लिए और खंड (क) या खंड (ख) या दोनों के अधीन आवेदक द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के सत्यापन के प्रयोजन के लिए नमूना या नमूने लेने और उनका परीक्षण करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा;

(घ) खंड (क) के प्रयोजन के लिए, आवेदक को, ऐसे परीक्षण प्राधिकारी को जिसे ब्यूरो ठीक समझे, नमूने प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा। परीक्षण का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ङ) खंड (ग) या खंड (घ) या दोनों के अधीन प्राप्त किसी रिपोर्ट के आधार पर, ब्यूरो, आवेदक से, परीक्षण और निरीक्षण की स्कीम में या उसके द्वारा प्रयुक्त विनिर्माण या उत्पादन के प्रसंस्करण में ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने की अपेक्षा कर सकेगा जो ठीक समझे जाएं।

4. अनुज्ञप्ति की मंजूरी:—(1) यदि ब्यूरो का, प्रारंभिक जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है तो ब्यूरो, ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, आवेदक द्वारा विनिर्मित किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की बाबत या किसी विनिर्माण या संकर्म में नियोजित प्रसंस्करण की बाबत मानक चिह्न का प्रयोग प्राधिकृत करते हुए प्ररूप 2 में अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा। ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति, सर्वप्रथम एक वर्ष की अवधि के लिए प्ररूप 2 में मंजूर की जाएगी। ब्यूरो, उस अवधि की जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, समाप्ति के कम से कम एक मास पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर उसका उतनी ही अवधि के लिए नवीकरण कर सकेगा। पश्चात्वर्ती अवधियों के लिए भी अनुज्ञप्ति का नवीकण, ब्यूरो द्वारा ऐसी ही रीति से किया जा सकेगा।

परन्तु यदि ब्यूरो, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुज्ञप्तिधारी के कार्य संपादन के आधार पर ऐसा विनिश्चय करता है तो वह अनुज्ञप्ति का एक बार में एक वर्ष से अधिक, किन्तु दो वर्ष से अनधिक अवधि, के लिए नवीकरण कर सकेगा।

(3) ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी को एक मास की सूचना देकर किसी ऐसे निबंधन और शर्त में, जिनके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, परिवर्तन कर सकेगा।

(4) जहां ब्यूरो की प्रारंभिक जांच के पश्चात यह राय है कि अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जानी चाहिए वहां ब्यूरो, आवेदक को, स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा और आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व आवेदक की ओर से दिए गए किसी तथ्य या स्पष्टीकरण पर विचार कर सकेगा।

(5) जहां मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है वहां उसे अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए, राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति का जब तक उसका नवीकरण नहीं किया जाता है या ब्यूरो द्वारा उसका नवीकरण आस्थगित नहीं किया जाता है, उस अवधि के जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था, अंत होने पर पर्यवसान हो जाएगा।

(7) मानक चिह्न के प्रयोग के संबंध में इन विनियमों के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी की गई सभी अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियां एक रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी जिसे ब्यूरो द्वारा रखा जाएगा।

5. अनुज्ञप्ति की शर्तें—(1) मानक चिह्न को ऐसी रीति से लगाया जाएगा कि वहां उन वस्तुओं या उनके अवेष्टक पर या उन वस्तुओं से, जिन पर लेबल नहीं लगाया जा सकता है या जिन्हें आवेष्टित नहीं किया जा सकता है, संबंधित परीक्षण प्रमाणपत्रों पर सुगमता से दृश्यमान हो सके। मानक चिह्न केवल वस्तु के ऐसे प्रकारों, श्रेणियों, वर्गों, किस्मों, आकारों पर लगाया जाएगा जिनके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी, अपने द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित मानक चिह्न का प्रतिचित्रण ब्यूरो से अनुमोदित कराएगा।

(2) जब किसी वस्तु या प्रसंस्करण की बाबत मानक चिह्न विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है तब विधिमान्य अनुज्ञप्ति का कब्जा रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी विज्ञापन, विक्रय उन्नयन पुस्तिका, कीमत सूची या वैसी ही अन्य वस्तु के माध्यम से यह लोक दावा नहीं करेगा कि उसका उत्पाद, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप है या उस पर मानक चिह्न लगा है।

स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए, इस दावे के बारे में कि किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में या किसी व्यष्टिक ग्राहक को सम्बोधित निविदा में किसी व्यक्ति का उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह लोक दावा है।

(3) जब तक किसी वस्तु या प्रसंस्करण के लिए कोई मानक चिह्न विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तब तक कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह दावा कर सकेगा कि वह उत्पाद या प्रसंस्करण भारतीय मानक के अनुरूप है परन्तु यह तब जब कि ऐसा उत्पाद या प्रसंस्करण वस्तुतः भारतीय मानक के अनुरूप हो।

(4) (क) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में उपदर्शित परीक्षण और निरीक्षण की स्कीम के द्वारा उसके उत्पादन या प्रसंस्करण की क्वालिटी बनाये रखने के लिए नियंत्रण की प्रणाली ब्यूरो के समाधानप्रद रूप में, संस्थित करेगा और चलाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह वस्तु या प्रसंस्करण जिसकी बाबत मानक चिह्न का प्रयोग किया जा रहा है, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप हो।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, ब्यूरो के समाधानप्रद रूप में यह स्थापित करने के लिए कि उत्पादन या प्रसंस्करण का अपेक्षित नियंत्रण किया गया है और संतोषजनक रूप से किया जा रहा है, परीक्षण और निरीक्षण का पूर्ण अभिलेख और परीक्षण और निरीक्षण के लिए स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य आंकड़े रखेगा ऐसे अभिलेख मांग पर निरीक्षक अधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) (क) ब्यूरो द्वारा मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति उसके द्वारा निलम्बित या रद्द की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(i) अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न से चिह्नित वस्तुएं संबंधित भारतीय मानक या मानकों के अनुरूप नहीं है, या

(ii) अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसे प्रसंस्करण की बाबत चिह्न का प्रयोग किया था जो संबंधित भारतीय मानक या मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, किसी निरीक्षक अधिकारी को उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में उसे समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने में असफल रहा है; या

(iv) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा है।

(ख) ब्यूरो, किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द करने के अपने आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना देगा।

(ग) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर अपनी ओर से ब्यूरो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो ब्यूरो स्पष्टीकरण पर विचार कर सकेगा और ऐसे स्पष्टीकरण की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर या सूचना की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी दीर्घतर हो, अनुज्ञप्तिधारी को सुनेगा।

(घ) यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ब्यूरो, सूचना की अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा।

(ङ) जहां कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर दी गई है या उसकी अवधि का उसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति पर नवीकरण नहीं किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष किसी अपील के लम्बित होते हुए भी, मानक चिह्न का प्रयोग तुरन्त बन्द कर देगा और यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ताओं के पास स्टाक में ऐसी कोई वस्तु है जिसे अनुचित रूप से चिह्नित किया गया है तो, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ता ऐसी वस्तुओं पर से मानक चिह्न हटाने, रद्द करने, विरूपित करने या मिटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(6) जब कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द की गई है तब ब्यूरो, इस प्रकार निलम्बित या रद्द अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(7) (क) यदि, किसी समय, उत्पाद को विनिर्देश के अनुरूप बनाए रखने में कुछ कठिनाई होती है या परीक्षण उपस्कर खराब हो जाता है तब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ब्यूरो को सूचना देते हुए, उत्पाद का चिह्नांकन रोक दिया जाएगा। चिह्नांकन, जैसे ही खराबी दूर कर दी जाती है, पुनः प्रारंभ किया जाएगा और ऐसे चिह्नांकन के पुनः प्रारंभ किए जाने की बाबत जानकारी तत्पश्चात् ब्यूरो को भेजी जाएगी।

(ख) यदि, किसी समय ब्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य है कि मानक चिह्न लगा उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप नहीं हो सकता तब अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे उत्पाद का चिह्नांकन रोक देने का निदेश दिया जाएगा। उत्पाद पर चिह्नांकन पुनः प्रारम्भ करने की अनुज्ञा ब्यूरो द्वारा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् दी जाएगी कि अनुज्ञप्तिधारी ने कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली है।

(8) विनियम 4 के उपविनियम (4) या विनियम 5 के उपविनियम (5) के अधीन ब्यूरो का विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय के आधारों सहित, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(9) किसी आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के विशेष अनुरोध पर किया गया कोई निरीक्षण, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के लेखे पर प्रभार्य होगा। ऐसे विशेष निरीक्षण या निरीक्षणों के लिए प्रभार वे होंगे जो ब्यूरो द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(10) जब कोई भारतीय मानक प्रत्याहृत किया जाता है और किसी अन्य भारतीय मानक द्वारा अधिक्रांत नहीं किया जाता है तब उसकी बाबत जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति ऐसे भारतीय मानक के प्रत्याहरण की तारीख से रद्द की गई समझी जाएगी और कोई ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तुरन्त ब्यूरो को अभ्यर्पित की जाएगी। ऐसी रद्द की गई अनुज्ञप्ति की दशा में, अनुज्ञप्ति की अपर्यवसित अवधि के प्रति आनुपातिक चिह्नांकन फीस का भाग, यदि अग्रिम रूप में संदत्त किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी को लौटाया जा सकेगा।

(11) किसी वस्तु या प्रसंस्करण की बाबत निरीक्षण की दशा में, जहां उस वस्तु या प्रसंस्करण की बाबत मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी।

(क) जब निरीक्षक अधिकारी, आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव करता है, तब वह अधिमानतः आवेदक को अपने दौरे की युक्तियुक्त सूचना देगा किन्तु किसी अनुज्ञप्तिधारी के परिसर के निरीक्षण के लिए ऐसी सूचना आवश्यक नहीं है।

(ख) यदि किसी निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक अधिकारी किसी वस्तु, सामग्री या पदार्थ के एक या अधिक नमूने लेना चाहता है तो वह ऐसा, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक के स्थापन के जिम्मेदार व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा;

(ग) निरीक्षक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, दोहरे नमूने ले सकेगा और यदि अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक या स्थापन का जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी मांग करता है तो दोहरे नमूने लेगा और एक नमूना अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक या ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को देगा;

(घ) निरीक्षक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, प्रत्येक ऐसा नमूना आवेष्टक में रख सकेगा और यदि अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक या स्थापन या जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी मांग करता है तो प्रत्येक ऐसा नमूना आवेष्टक में रखेगा और प्रत्येक नमूने को संयुक्त रूप से मुहरबन्द करेगा। निरीक्षक अधिकारी द्वारा लिए गए ऐसे नमूनों की दशा में, जिन्हें इस प्रकार मुहरबन्द नहीं किया जा सकता है ऐसे नमूनों को उनकी पहचान बनाए रखने के लिए किसी पहचान चिह्नांकित किया जाएगा;

(ङ) मुहरों के छाप और पहचान के ब्यौरे निरीक्षक अधिकारी की रिपोर्ट में दिए जाएंगे। नमूनों पर लेबल लगाये जाएंगे जिन पर पूरे ब्यौरे दिए जाएंगे; और

(च) निरीक्षक अधिकारी लिए गए नमूना या नमूने की रसीद देगा और उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी उपस्थिति में नमूना लिया गया था, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद की दूसरी प्रति अपने पास रखेगा।

(12) निरीक्षक अधिकारी, गोदाम से या अनुज्ञप्तिधारी के किसी अभिकर्ता के किसी परिसर से या अनुज्ञप्तिधारी या उसके अभिकर्ता द्वारा खुले बाजार में विक्रय के लिए रखी गई वस्तुओं में से मानक चिह्न से चिह्नांकित वस्तुओं के नमूने ले सकेगा।

(13) ब्यूरो, प्रत्येक अनुज्ञप्ति की बाबत एक वर्ष में कम से कम दो निरीक्षणों के लिए इंतजाम करेगा।

(14) निरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा किए गए प्रत्येक निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट ब्यूरो को देगा।

6. फीस—(1) किसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस और किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ तीन सौ रुपए की फीस दी जाएगी। किसी भी स्थिति में, ऐसी फीस या उसका भाग लौटाया नहीं जाएगा।

(2) आवेदक द्वारा उपविनियम (1) के अधीन अपने आवेदन के साथ संदत्त आवेदन फीस के अतिरिक्त, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा:—

(i) पांच सौ रुपए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस;

(ii) ब्यूरो द्वारा अवधारित दर पर और मानक चिह्न के अन्तर्गत आने वाली वस्तु या प्रसंस्करण के कुल वार्षिक उत्पादन की तत्स्थानी दर पर चिह्नांकन फीस या न्यूनतम फीस, इनमें से जो भी उच्चतर हो।

(3) चिह्नांकन फीस, समय-समय पर ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाएगी और अनुसूची के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसमें उत्पाद या प्रसंस्करण के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रति यूनिट चिह्नांकन फीस दर्शित की जाएगी।

(4) प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस और न्यूनतम चिह्नांकन फीस का आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के समय संदाय किया जाएगा। तत्पश्चात अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के समय, अनुज्ञप्तिधारी नवीकरण के ठीक पूर्ववर्ती अवधि के लिए देय चिह्नांकन फीस सहित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का जब तक अनुज्ञप्ति प्रभावी बनी रहती है, संदाय करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप 2 की दूसरी अनुसूची में दी गई रीति से चिह्नांकन फीस का संदाय करेगा।

7. प्रमाणन से संबंधित अन्य सेवाएं :—(1) विनिर्माण या प्रसंस्करण यूनिटों में क्वालिटी आश्वासन पद्धति की मान्यता के लिए ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के उपनियम (ग) के अधीन उपबंधित क्वालिटी आश्वासन सेवा प्रशासित करेगा। ऐसी क्वालिटी आश्वासन सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो परस्पर तय पाई जाएं।

(2) ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के उपनियम (क) के अधीन उपवर्णित कृत्यों को अग्रसर करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ सांख्यिकीय क्वालिटी नियंत्रण तकनीकों के, जिनका उद्देश्य डिजाइन विकास, प्रसंस्करण नियंत्रण और प्रसंस्करण क्षमता आदि में सुधार लाना है, उपयोजन के लिए सेवाओं की व्यवस्था करेगा। ऐसी सेवाएं, ब्यूरो द्वारा नियत की गई शर्तों के अनुसार समूहों में, या विनिर्माण या प्रसंस्करण यूनिटों में आंतरिक क्वालिटी सुधार के लिए प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 1

(विनियम 3 देखिए)

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986

के अधीन

मानकचिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

महानिदेशक
भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन
9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

1. *मैं/हम, जो .... (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के नाम से .... (कारबार का पूरा पता) में कारबार चला रहा हूं/रहे हैं, ऐसी वस्तु/प्रसंस्करण की बाबत, जो नीचे सूचीबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप हैं, मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :—

(क) **वस्तु ....

प्रकार ....

आकार ....

श्रेणी ....

संबंधित भारतीय मानक ....

(ख) **प्रसंस्करण ....

....

संबंधित भारतीय मानक ....

भा. मा .... अभिनाम

भा.मा. .... अभिनाम ....

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

**(क), (ख) के अधीन दो मदों में से केवल एक मद एक आवेदन के अन्तर्गत आए; दूसरी मद को काट दीजिए।

2. .... (पता) में स्थित परिसर में .... (कारखाने का नाम) द्वारा उपरोक्त वस्तु का विनिर्माण किया जाता है/उपरोक्त प्रसंस्करण चलाया जाता है।

3. (क) मेरी/हमारी फर्म के शीर्ष प्रबंधतंत्र को संरचना निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	नाम	पदाभिधान

(ख) मैं/हम उपरोक्त संरचना में किसी परिवर्तन की, जैसे ही वह होता है, बोर्ड को सूचना देने का वचन देता हूं/देते है।

4. मैं/हम फर्म या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/(लघु यूनिटों की दशा में) उद्योग निदेशक द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम और उसके विनिर्माण परिसर को अधिप्रमाणित करने वाली वैसी ही अन्य दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रति/फोटो प्रति संलग्न करता हूं/करते है।

5. (क) मेरा/हमारा कारखाना संलग्न सूची में उल्लिखित मशीनों, औजारों आदि से सज्जित है।

(ख) मेरे/हमारे पास संलग्न सूची के अनुसार और भा. मा .... के अनुसार परीक्षण इंतजाम है।

या

भा. मा .... के अनुसार निम्नलिखित परीक्षण इंतजाम अभी किए जाने है।

....

....

....

(ग) नियोजित तकनीकी कार्मिकों के ब्यौरे :

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कार्य

6. (क) मेरे/हमारे द्वारा प्रयुक्त व्यापार चिह्न/ब्रांड नाम निम्नलिखित हैं :

....

....

(ख) मैं/हम निम्नलिखित व्यापार चिह्न/ब्रांड नाम पर भा. मा. सं. चिह्न लगाना चाहता हूं/चाहते हैं :

....

....

(ग) भा. मा. सं. प्रमाणन चिह्न के अन्तर्गत लाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यापार चिह्न/ब्रांड नाम का रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख :

....

....

या

अरजिस्ट्रीकरण की दशा में, मैं/हम व्यापार चिह्न/ब्रांड नाम के समर्थन में प्रचार/पैकिंग सामग्री, आदि के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करता हूं/करते हैं।

$\frac{\text{वस्तु}}{\text{प्रसंस्करण}}$

7. उक्त ——— के उत्पादन आंकड़े और उसका मूल्य, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्राक्कलन के अनुसार निम्नलिखित हैं :

वर्ष	उत्पादन	यूनिट	मूल्य रु.
पिछला वर्ष .... से .... तक			
चालू वर्ष .... से .... तक (प्राक्कलन)			

8. संबंधित भारतीय मानक .... से उक्त ——— वस्तु / प्रसंस्करण

की अनुरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से—

*मैं/हम इससे संलग्न विवरण में उल्लिखित निरीक्षण और परीक्षण की स्कीम का प्रयोग कर रहा हूं/कर रहे हैं/प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं। सभी निरीक्षणों और परीक्षणों के नैत्यिक अभिलेख, विवरण में दिए गए प्ररूप में रखे जा रहे हैं/रखे जाएंगे। मैं/हम अपनी निरीक्षण और परीक्षण की स्कीम का, उस स्कीम के अनुरूप बनाने के लिए जो आपके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरण, संशोधन या परिवर्तन करने का भी वचन देता हूं/देते हैं।

*मेरी/हमारी इस समय कोई भी निरीक्षण/परीक्षण की स्कीम प्रवर्तन में नहीं है। किंतु मैं/हम किसी ऐसी स्कीम को, जिसको ब्यूरो द्वारा सिफारिश की जाए, प्रवर्तन में लाने का वचन देता हूं/देते हैं।

9. मैं/हम अनुज्ञप्ति के मंजूर किए जाने की तारीख से लागू ऐसी मूल्यांकन फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूं/हैं, जो ब्यूरो द्वारा विहित की जाए और जो मेरे/हमारे द्वारा करार पाई जाए।

10. यदि ब्यूरो द्वारा कोई प्रारंभिक जांच की जाए तो, मैं/हम ब्यूरो को अपने अधिकार में की सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देने का वचन देता हूं/देते हैं और मैं/हम, उक्त जांच के सभी खर्चों का, जिनके अन्तर्गत परीक्षण प्रभार है, जैसे ही और जब ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए, संदाय करने के लिए सहमत हूं/हैं।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे कारखाने का प्रारंभिक निरीक्षण .... (यहां तारीख लिखें) तक कर लिया जाए।

या

मैं/हम प्रारंभिक जांच करने के लिए उपयुक्त समय, तारीख आदि, जैसे ही ऐसी वस्तु का, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाता है, सूचित करूंगा/करेंगे और मैं/हम नमूने लिए जाने के लिए तैयार हूं/हैं।

11. (क) यह प्रमाणित किया जाता है कि इसके पूर्व मैंने/हमने आवेदन किया था और आवेदन सं .... था जो .... के कारण अनुज्ञप्ति के रूप में परिपक्व नहीं हुआ था।

(ख) यह प्रमाणित किया जाता है कि इसके पूर्व मेरे/हमारे पास सीएम/एल सं .... था जो .... के कारण ब्यूरो के पत्र सं ...., तारीख .... द्वारा व्यपगत हो गया था/रद्द कर दिया गया था।

12. मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि आवेदन प्ररूप में ऊपर दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाए तो आवेदन तुरन्त नामंजूर कर दिया जाए।

13. यदि अनुज्ञप्ति मंजूर कर दी जाती है और जब तक वह प्रवर्तन में रहती है और तब तक मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि अनुज्ञप्ति के सभी निबंधनों और शर्तों का तथा पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन विहित नियमों और विनियमों का पालन करूंगा/करेंगे। अनुज्ञप्ति के निलंबित या रद्द कर दिए जाने की दशा में, मैं/हम यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाली किसी वस्तु पर मानक चिह्न का प्रयोग करना तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दूंगा/कर देंगे और सभी सुसंगत विज्ञापन सामग्री को वापस ले लूंगा/ले लेंगे तथा ऐसी अन्य कार्रवाई करूंगा/करेंगे जो पूर्वोक्त नियमों और विनियमों के उपबंधों के पालन के लिए आवश्यक है।

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदाभिधान ....

....

(फर्म का नाम)

के लिए और उसकी ओर से

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 2

(विनियम 4 देखिए)

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं. सी एम/एल—

1. ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, ... को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) इसकी पहली अनुसूची के पहले स्तम्भ में उल्लिखित मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इस मानक चिह्न का प्रयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण समय-समय पर संशोधित या पुनरीक्षित उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित किया जाएगा/उसके अनुरूप होगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के साथ वे अधिकार और बाध्यताएं हैं जो उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में बताई गई हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित चिह्नांकन फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को जो इससे संलग्न है, ब्यूरो के समाधानप्रद रूप में चलाएगा।

3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य रहेगी और इसका विनियमों में विहित रूप में नवीकरण किया जा सकेगा।

आज तारीख .... को हस्ताक्षरित और मुद्रांकित

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से

पहली अनुसूची

मानक चिह्न	वस्तु/प्रसंस्करण	भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)

दूसरी अनुसूची

अनुज्ञप्ति सं. सी एम/एल— .... के लिए चिह्नांकन फीस की अनुसूची

वस्तु/प्रसंस्करण	यूनिट	प्रति यूनिट चिह्नांकन फीस	संदाय की रीति
(1)	(2)	(3)	(4)
			(क) एक प्रवर्तनशील वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन फीस अग्रिम रूप से देय होगी, जो अगले नवीकरण (नवीकरणों) के लिए आगे ले जाई जाएगी।
			(ख) प्रवर्तनशील अवधि के पहले नौ मास के लिए चिह्नांकित उत्पादन पर यूनिट दर पर संगणित वास्तविक चिह्नांकन फीस या न्यूनतम फीस, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुज्ञप्ति के प्रथम नवीकरण के समय दिल्ली/नई दिल्ली में देय होगी। पश्चात्वर्ती नवीकरणों के लिए बारह मास की अवधि के लिए, जिसमें पूर्वतन प्रवर्तनशील अवधि के अंतिम तीन मास और चालू प्रवर्तनशील अवधि के पहले नौ मास सम्मिलित हैं वास्तविक चिह्नांकन फीस या न्यूनतम फीस, इनमें से जो भी अधिक हो, देय होगी।

[सं. बीआईएस/ईसी (आरईजी)/6]

कि. रा. परमेश्वर, महानिदेशक

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 6th January, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 10 (E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these regulations, unless the context otherwise requires ;

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) ;

(b) "Form" means a form annexed to these regulations ;

(c) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 ;

(d) all other words and expressions used in the regulations and not defined but defined in the Act or the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.

MANNER, CONDITION AND RATES OF FEE FOR GRANT AND RENEWAL OF LICENCE

3. Manner of applying for licence.—(1) Every application for the grant of a licence shall be made to the Bureau in Form I.

(2) Every application for a licence shall be accompanied by a statement furnishing in detail any scheme of inspection and testing, which the applicant maintains or has been in use or proposes to maintain or to put into use and which is designed to regulate, during the course of manufacture or production, the quality of the article or process for which the licence is applied for.

(3) Every application shall be signed in the case of an individual, by the applicant or, in the case of a firm, by the proprietor, partner or the managing director of the firm or by any other person authorised to sign any declaration on behalf of the firm. The name and designation of the person signing the application shall be recorded legibly in the space set apart for the purpose in the application form.

(4) Every application for a licence shall, on receipt by the Bureau, be numbered in order of priority of the receipt and be acknowledged.

(5) The Bureau may call for any supplementary information or documentary evidence from any applicant in support of or to substantiate any statement made by him in his application, within such time as may be directed by the Bureau, and non-compliance with such direction may have the effect of the application being summarily rejected by the Bureau.

(6) On receipt of an application for a licence and before granting a licence, the Bureau may—

(a) require evidence to be produced that the article or process in respect of which a licence has been applied for conforms to the related Indian Standard ;

(b) require evidence to be produced that the applicant has in operation a scheme of routine inspection and testing, which will adequately ensure that all marked products shall conform to the Indian Standard ;

(c) require all reasonable facilities to be provided to an Inspecting Officer of the Bureau to inspect the office, workshop, testing laboratories or godowns and any other premises of the applicant and to draw and test sample or samples for the purpose of verifying the evidence produced by the applicant under clause (a) or clause (b) or both ;

(d) for the purpose of clause (a), direct the applicant to submit samples to such testing authority as the Bureau may consider appropriate. The expenses for testing shall be borne by the applicant ; and

(e) on the basis of any report received under clause (c) or clause (d) or both, the Bureau may, as deemed fit, require the applicant to carry out such alternations in, or addition to, the scheme of testing and inspection or the process of manufacture or production in use by the applicant.

4. Grant of licence.—(1) If the Bureau, after a preliminary inquiry, is satisfied that the applicant is fit to use the Standard Mark, the Bureau shall grant a licence in Form II authorising the use of the Standard Mark in respect of the article or class of articles manufactured by the applicant or in respect of the process employed in any manufacture or work, subject to such terms and conditions as specified in these regulations. The Bureau shall intimate the applicant about grant of licence.

(2) A Licence shall be granted in Form II for a period of one year in the first instance. The Bureau may, on an application made by a licensee at least one month before the expiry of the period for which the licence has been granted, renew the same for a like period. Renewal of the licence for subsequent period may also be done by the Bureau in a similar manner :

Provided that if the Bureau so decides, depending, among other things, on the licensee's performance, it may renew the licence for a period longer than one year but not exceeding two years at a time.

(3) The Bureau may, during the period of the validity of the licence, alter by giving one month's notice to a licensee any terms and conditions subject to which the licence has been granted.

(4) Where the Bureau, after a preliminary inquiry, is of the opinion that a licence should not be granted, the Bureau shall give a reasonable opportunity to the applicant of being heard, either in person or through a representative authorised by him in this behalf, and may take into consideration any fact or explanation urged on behalf of the applicant before rejecting the application.

(5) Where a licence to use Standard Mark has been granted, it shall be notified in the Official Gazette specifying the particulars of the licence.

(6) A licence, unless renewed or its renewal is deferred by the Bureau shall expire at the end of the period for which it is granted.

(7) Particulars of all licences issued by the Bureau under these regulations in connection with the use of Standard Mark shal be entered in a register which the Bureau shall maintain.

5. Conditions of a licence.—(1) The Standard Mark shall be applied in such manner as it may be easily visible as a distinct mark on the articles or the covering or on test certificates relating to articles which cannot be labelled or covered. The Standard Mark shall be applied to only such types, grades, classes, varieties, sizes of the article for which the licence has been granted. The licensee shall get the fascimile of the Standard Mark proposed to be used by him, approved from the Bureau.

(2) When a Standard Mark has been specified in respect of an article or process, no person other than the licensee in possession of a valid licence shall make any public claim, through any advertisement, sales promotion leaflets, price-lists or the like, that his product conforms to the relevant Indian Standard or carries the Standard Mark.

Explanation :—For the purpose of this sub-regulation, a claim as to conformity of one's product to an Indian Standard in reply to a specific query or in a tender addressed to any individual customer shall not be deemed to be a public claim.

(3) So long as a Standard Mark is not specified for an article or process, a person may publically claim that this product or process conforms to the Indian Standard provided that such product or process actually conforms to the Indian Standard.

(4) (a) Every licensee shall institute and maintain, to the satisfaction of the Bureau, a system of control to keep up the quality of his production or process by means of a scheme of testing and inspection as indicated in the licence, so as to ensure that the article or process, in respect of which the Standard Mark is being used, comply with the relevant Indian Standard.

(b) The licensee shall maintain a complete record of the tests and inspection and such other data as specified in the scheme for testing and inspection, to establish to the satisfaction of the Bureau that the required control of production or process has been and is being satisfactorily maintained. Such records shall, on demand, be made available for inspection to the Inspecting Officer.

(5) (a) Any licence granted by the Bureau may be suspended or cancelled by it, if it is satisfied :—

(i) That the articles marked with the Standard Mark under a licence do not comply with the related Indian Standard or Standards ; or

(ii) that the licensee had used the mark in respect of a process which does not come up to the related Indian Standard or Standards ; or

(iii) that the licensee failed to provide reasonable facilities to any Inspecting Officer to enable him to discharge the duties imposed on him ; or

(iv) that the licensee has failed to comply with any of the terms and conditions of the licence.

(b) Before the Bureau suspends or cancels any licence, it shall give the licensee not less than fourteen days' notice of its intention to suspend or cancel the licence.

(c) On the receipt of such notice, the licensee may submit an explanation on his behalf to the Bureau within seven days from the receipt of the notice. If an explanation is submitted, the Bureau may consider the explanation and give a hearing to the licensee within fourteen days from the date of receipt of such explanation or before the expiry of the notice whichever is longer.

(d) If no explanation is submitted, the Bureau may, on the expiry of period of the notice, suspend or cancel the licence.

(e) Where a licence has been suspended or cancelled, or the terms thereof has not been renewed on the expiry of the period of its validity, the licensee shall discontinue forthwith the use of the Standard Mark notwithstanding the pendency, of any appeal before the Centarl Government under section 16 of the Act and if there be, with the licensee or his agents, any articles in stock which have been improperly marked, the licensee or his agents, as the case may be, shall take necessary steps to get the Standard Mark on such article either removed, cancelled, defaced or erased.

(6) When a licence has been suspended or cancelled, the Bureau shall publish the particulars of the licence so suspended or cancelled in the Official Gazette.

(7) (a) If, at any time, there is some difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification or the testing equipment goes out of order, the marking of the product shall be stopped by the licensee, under intimation to the Bureau. The marking may be resumed as soon as the defects are removed and information regarding such resumption of marking be sent to the Bureau, immediately thereafter.

(b) If, at any time, the Bureau has sufficient evidence that the product carrying the Standard Mark may not be conforming to the Indian Standard the licensee shall be directed to stop marking of such product. The resumption of marking on the product shall be permitted by the Bureau after satisfying itself that the licensee has taken necessary actions to remove the deficiencies.

(8) The decision of the Bureau under sub-regulation (4) of the regulation 4 or sub-regulation (5) of the regulation 5 together with the grounds for arriving at such decision shall be communicated, in writing by registered post, to the applicant or the licensee, as the case may be.

(9) An inspection, specially made at the request of an applicant or a licensee, shall be chargeable to the account of applicant or the licensee. Charges for such special inspection or inspections shall be such as may be decided by the Bureau.

(10) When an Indian Standard is withdrawn and not superseded by any other Indian Standard, any licence issued in respect thereof shall be deemed to have been cancelled from the date of withdrawal of such Indian Standard and any such licence shall be surrendered to the Bureau by the licensee forthwith. In the case of such cancelled licence, a part of the marking fee, if paid in advance, proportionate to the unexpired period of the licence, may be refunded to the licensee.

(11) The following procedure shall apply in the case of inspection in respect of any article or process where a licence for the use of Standard Mark in respect of that article or process has been issued, or an application has been made for a licence :—

(a) when an Inspecting Officer proposes to Inspect the premises of an applicant, he shall, preferably, give reasonable notice of his visit to the applicant but for inspection of premises of a licensee, such notice is not necessary;

(b) if during an inspection, an Inspecting Officer wishes to take one or more samples of any article, material or substance, he shall do so in the presence of the licensee or the applicant or a responsible person belonging to the establishment of the licensee or the applicant, as the case may be ;

(c) the Inspecting Officer may at his discretion, and shall if the licensee or applicant or the responsible person belonging to the establishment demands it, take duplicate samples and give one sample to the licensee or the applicant or such responsible person ;

(d) the Inspecting Officer may at his discretion, and shall if the licensee or applicant or the responsible person belonging to the establishment demands it, place each such sample in a covering and jointly seal each sample. In the case of samples drawn by the Inspecting Officer which cannot be so sealed, such samples shall be marked with certain identification to establish their identity ;

(e) impression of the seals and details of identification shall be given in the Inspecting Officer's report. The samples shall be labelled giving complete details ; and

(f) the Inspecting Officer shall give a receipt for sample or samples taken and retain a duplicate copy of the receipt duly signed by the person in whose presence the sample was taken.

(12) The Inspecting Officer may take samples of articles marked with the Standard Mark from the godowns or any such premises of any agent of the licensee or from the articles put up for sale in the open market by the licensee or his agent.

(13) The Bureau shall arrange at least two inspections a year in respect of each licence.

(14) An Inspecting Officer shall make to the Bureau a detailed report of every inspection made by him.

6. Fees :—(1) Every application for the grant of a licence shall be accompanied by a fee of five hundred rupees and every application for renewal of a licence shall be accompanied by a fee of three hundred rupees. No such fee or part thereof shall, in any circumstance, be refunded.

(2) In addition to the application fee paid by the applicant with his application under sub-regulation (1), there shall be paid by every licensee :—

(i) an annual licence fee of rupees five hundred ;

(ii) a marking fee at the rate as may be determined by the Bureau and corresponding to total annual production of the article or process covered by the Standard Mark or a minimum fee, whichever is higher.

(3) The marking fee shall from time to time be determined by the Bureau and shall be published in the Official Gazette in the form of a schedule showing the marking fees per unit for each class of product or process.

(4) The annual licence fee and the minimum marking fee for the first year shall be paid by the applicant at the time of grant of the licence. Thereafter, at the time of application for renewal of the licence the licence shall pay the annual licence fee, alongwith marking fee due for the period immediately preceding the renewal, so long as the licence remains effective.

(5) The licensee shall pay the marking fee in the manner stipulated in the Second Schedule to Form II.

7. Other services associated to certification :—For recognition of Quality Assurance Systems in manufacturing or processing units the Bureau shall administer a Quality Assurance service as provided under sub-rule (d) of rule 13 of the Bureau of Indian Standard Rules, 1987. The terms and conditions of such quality assurance service shall be as mutually agreed.

(2) In furtherence of the functions set forth under sub-rule (a) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau shall, among others provide services for application of statistical quality control techniques aimed at improving design development, process control and process capabilities etc. Such services shall be provided either in groups or for in-house quality improvement in manufacturing or processing units, in accordance with condition stipulated by the Bureau.

FORM I

[See regulation 3]

APPLICATION for LICENCE to use the STANDARD MARK

under the

BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986

THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
MANAK BHAVAN
9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI 110002

1. *I/We, carrying on business at——

(full business address) under the style of——————————————————————————————————

——————————————————————————————————————(full name of individual or firm) hereby apply for a licence under the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986, to use the Standard Mark in respect of the article/process which conforms to the Indian Standard listed below:

(a) **Article ——————————————————————————————————
Type(s)
Size(s)
Grade(s)
Related Indian Standard

b) **Process

Related Indian Standard
IS: Title
IS: Title

*Strike out one not applicable.

**Only one of the two items under (a), (b) may be covered by one application; strike out the other.

2. The above article is/manufactured by ————————————————————————————
process is carried out
—————————————————————————————————————— Name of factory on the premises situated at——————————————————————————————
—————————————————————————————————————— (address)

3. (a) The composition of the top Management of my/our firm is as follows:

Sl No.	Name	Designation
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(b) I/We undertake to intimate to the Bureau any change to in the above composition as soon as it takes place.

4. I/We hereby enclose an attested copy/Photo copy of the Certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (In case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises

5 (a) My our factory is equipped with the machines, tools etc , as mentioned in the enclosed list

(b) I/We have testing arrangements as per enclosed list and as per IS ——————————

OR

The following testing arrangements as per IS —————————— are still to be made

(c) Details of Technical Personnel employed

Sl No	Name	Qualification	Job
1			
2			
3			
4			
5			

6 (a) The Trade Mark(s)/Brand Name(s) used by us are as follow

——————————

(b) I/We intend to apply Standard Mark on the following Trade Mark(s) Brand Name(s)

——————————

(c) Registration No and Date of the Trade Mark(s) Brand Name(s) proposed to be covered under Standard Mark

——————————

OR

In case of non-registration, I/We enclose documentary evidence in form of publicity/packing material, etc, in support of the Trade Mark(s) Brand Name(s)

7 Production figures for the said article/process and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows

Year	Production	Unit	Value Rs
Last year from ——————			
to ——————			
Current year from ——————			
to —————— (estimate)			

8 In order to ensure conformity of the said article/process to the related Indian Standard——————

*I/We have in use/propose to use the Scheme of Inspection and Testing described in the Statement attached hereto Routine records of all the inspections and tests are being/will be kept in the form detailed in the Statement. I/We further undertake to modify, amend or alter my/our Scheme of Inspection and Testing to bring it in line with that which may be specified by you from time to time

*I/We have at present no Scheme of Inspection and Testing in operation I/We, however, undertake to put in operation any such scheme as recommended by the Bureau

9 I We agree to pay the marking fee as prescribed by the Bureau and that agreed to by me us applicable from the date of the grant of the licence

10. Should any initial enquiry be made by the Bureau, I/We agree to extend to the Bureau all reasonable facilities at my/our command and I/We also agree to pay all expenses of the said enquiry, including charges for testing, as and when required by the Bureau.

I/We request that the preliminary inspection of my/our factory may be carried out by—————— (indicate date)

OR

I/We shall intimate the time, date, etc. suitable for carrying out the preliminary inspection as soon as production of the article applied for is undertaken and I/We are ready for drawal of samples.

11. (a) Certified that earlier I/We had applied and the application No. was——————. It did not mature into a licence because of——————

(b) Certified that earlier I/We held CM/L No.—————— which was lapsed/cancelled because of—————— vide letter No.—————— dated —————— from Bureau.

12. I/We undertake that should any of the information supplied above in the application form is found to be wrong, the application may be rejected forthwith.

13. Should the licence be granted and as long as it will remain operative, I/We hereby undertake to abide by all the terms and conditions of the licence and the regulations prescribed under the aforesaid Act. In the event of the licence being suspended or cancelled, I/We also undertake to cease with immediate effect to use the Standard Mark on any article covered by the licence and to withdraw all relevant advertising matters and to take such other steps as map be necessary to fulfil the provisions of the af resaid Regulations.

Dated this —————— Day of ——————
One thousand nine hundred and——————

Signature ——————
Name ——————
Designation ——————

For and on behalf of——————
——————
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

फार्म II

FORM II

[विनियम 4 देखिए]

[See regulation 4]

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल-

LICENCE NO. CM/L —

1 यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 73) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986), the BUREAU hereby grants to

को (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिह्न का उपयोग, करने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करता है। इस मानक चिह्न का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम मे उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा ।

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएं है जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों मे है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिह्न लगाने की नियम फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा ।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of his obligations, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the Bureau the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3 यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) .... से. .... तक विधिमान्य रहेगी और विनियमो मे विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा ।

3. This licence shall be valid from

to

and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज एक हजार नौ सौ........ के. .... मास के .... दिन

हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित । भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से

Signed, Sealed and Dated this—— day of——

one thousand nine hundred and——

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

THE FIRST SCHEDULE

STANDARD MARK	ARTICLE/PROCESS	INDIAN STANDARD(S)
(1)	(2)	(3)

THE SECOND SCHEDULE

SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO. CM/L...... . .. .

ARTICLE/PROCESS	UNIT	MARKING FEE PER UNIT	MANNER OF PAYMENT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			(a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Delhi/New Delhi at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period of the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.

[No. BIS/EC(REG)/6]

K.R. PARAMESVAR, Director Genera

45GI/88

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988